



# सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

## कार्यालय ज्ञाप

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 04 नवम्बर, 2023 में विचारणीय विषय-4- शास्त्री एवं आचार्य में प्रवेश हेतु छात्रहित में सामान्यधारा से आने वाले छात्रों के प्रवेशार्थ संस्कृत विषय की अनिवार्यता को शिथिल करने हेतु लिये गए निर्णय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.11.2023 में सम्पुष्टि के अनन्तर विद्यापरिषद् द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 09.11.2023 के द्वारा अधोलिखित संस्तुति प्रदान की गयी-

**प्रवेशार्हता नियम-** उन सभी विषयों में जिनमें सम्बन्धित विषयों में उत्तरमध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, को छोड़कर अन्य सभी विषयों में बिना संस्कृत के +2 उत्तीर्ण छात्र भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे। ज्योतिष विषय में किसी भी विषय में उत्तर मध्यमा से उत्तीर्ण छात्र अर्ह होंगे। प्रवेशार्हता सूची में परम्परागत विषय में उत्तर मध्यमा उत्तीर्ण छात्रों को प्रथम वरीयता दी जायेगी। उत्तर मध्यमाप्रवेशार्थ अवशिष्ट सीटों पर सामान्यधारा +2 उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।

जो छात्र प्रवेशार्हकारी परीक्षा बिना संस्कृत के उत्तीर्ण है उन्हें शास्त्री प्रथम, द्वितीय सेमेस्टर में निर्धारित संस्कृत भाषा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

**पाठ्यक्रम - प्रथम सेमेस्टर -**

सन्धि प्रकरण - अच्सन्धि, हल्सन्धि तथा विसर्गसन्धि का परिज्ञान।

कारक प्रकरण - विभिन्न विभक्तियों के अर्थों का अध्ययन।

षड्लिङ्ग प्रकरण- अजन्त पुल्लिङ्ग, अजन्त स्त्रीलिङ्ग, अजन्त नपुंसक लिङ्ग,  
हलन्त पुल्लिङ्ग, हलन्त स्त्रीलिङ्ग, हलन्त नपुंसक लिङ्ग।

अनुवाद.- उपर्युक्त प्रकरणों से सम्बन्धित अनुवाद।

**द्वितीय सेमेस्टर -**

समासप्रकरण - अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वन्द्व तथा भ्वादि प्रकरण तथा कृदन्तप्रकरण।

अनुवाद - प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के व्याकरणांशों पर आधारित अनुवाद।

आचार्य में प्रवेश हेतु अलग से विचार किया जायेगा।

समिति की उपर्युक्त संस्तुति को सत्र 2024-25 से लागू किये जाने पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

(राकेश कुमार-I.A.S.)  
कुलसचिव

सं.सा. 683- /2024, दिनांक 05.05.2024

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- वैयक्तिक सहायक-कुलपति, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
- 2- समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष।
- 3- परीक्षा नियन्त्रक।
- 4- आशुलिपिक कुलसचिव/वित्ताधिकारी।
- 5- उपकुलसचिव (प्रशा./सम्बद्धता)
- 6- श्री मोहित मिश्र, प्रोग्रामर- को इस आशय से की विश्वविद्यालय की वेब-साईट पर अपलोड करें।
- 7- अधीक्षक (प्रशासन/लेखा/परीक्षा/शैक्षिक/सम्बद्धता) को नियमानुसार कार्यवाही हेतु।
- 8- सम्बद्ध पत्रावली।

(राकेश कुमार-I.A.S.)  
कुलसचिव